सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाडमेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024/48 (24/24) दर्ज तिथिः–10.01.2024

1. आदाराम वल्द कानाराम
2. इन्दु पत्नी कानाराम
3. करनाराम वल्द पर्बताराम
4. सादुलाराम वल्द नारणाराम
5. सांवलारम वल्द नारणाराम

समस्त बालिग कौम कलबी निवासी खारवा, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भेराराम पुत्र धीराराम
2. स्व. होथीराम पुत्र धीराराम के कायम मुकाम
   2/1 निम्बाराम पुत्र होतीराम
   2/2 आदाराम पुत्र होथीराम
   3/3 झमूदेवी पत्नी होथीराम
3. महादेवाराम पुत्र पदमाराम
4. देवाराम पुत्र पदमाराम
5. अनू पत्नी भारमल
6. लुम्भाराम पुत्र भारमल
7. वधाराम पुत्र भारमल
8. कुंभीदेवी पत्नी भूराराम
9. छगनाराम पुत्र भूराराम
10. नेथीराम पुत्र भूराराम
11. भगाराम पुत्र मांगाराम
12. वधाराम पुत्र मांगाराम
13. हरदाराम पुत्र मांगाराम
14. चैनाराम पुत्र रूपाराम
15. भंवरराराम पुत्र नवाराम
16. मनाराम पुत्र नवाराम
17. रम्भा पत्नी नवाराम
18. जगदीश पुत्र रूपाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.21 11:49:07 IST
Reason: SelfAttested

19. दुर्गाराम पुत्र चतराराम
20. दीपाराम पुत्र नवाराम
21. धापूदेवी पत्नी रूगनाथ
22. पनाराम पुत्र चतराराम
23. प्रभी पत्नी चतराराम
24. पाताराम पुत्र खीमाराम
25. पारवती पत्नी रूपाराम
26. थानाराम पुत्र जेठाराम
27. प्रभी पत्नी भावाराम
28. मगाराम पुत्र भावाराम
29. कचराराम पुत्र गंगदाराम
30. हराराम पुत्र रावताराम
31. करमीराम पुत्र रावताराम
32. कानाराम पुत्र गंगदाराम
33. जगाराम पुत्र रावताराम
34. जेठाराम पुत्र गंगदाराम
35. मीरादेवी पत्नी उमाराम
36. रणछोडाराम पुत्र गंगदाराम
37. वेलाराम पुत्र रावताराम
38. हरदाराम पुत्र उमाराम
    जाति कलबी निवसी खारवा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
39. ईशराराम पुत्र रणछोडाराम
40. भलाराम पुत्र ईशराराम
41. मेघाराम पुत्र ईशराराम
42. हरदाराम पुत्र ईशराराम
43. कलाराम पुत्र नारणाराम
44. कृष्णराम पुत्र नारणाराम
45. खूमाराम पुत्र देवाराम
46. नवाराम पुत्र देवाराम
47. नारणाराम पुत्र देवाराम
48. भूराराम पुत्र देवाराम
49. गोमाराम पुत्र मोटाराम
50. नगाराम पुत्र मोटाराम
51. मेहराराम पुत्र मोटाराम
    जाति कलबी निवासी वीरमाणियों की ढाणी खारवा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
52. घमण्डाराम पुत्र थानाराम जाति माली निवासी वीरमाणियों की ढाणी तह0 गुडामालानी
53. उकाराम पुत्र अचलाराम
54. धनाराम पुत्र गंगदाराम
55. पारू पत्नी गंगदाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.21 11:49:07 IST
Reason: SelfAttested

56. लसाराम पुत्र गंगदाराम
57. लालाराम पुत्र गंगदाराम
58. वीरमाराम पुत्र अचलाराम
59. गणेशाराम पुत्र नरीगाराम
    जाति कलबी निवासी रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
60. अणसी पत्नी चेलाराम
61. सांवलाराम पुत्र चेलाराम
62. केशीदेवी पत्नी तुलछाराम
63. गोतम पुत्र चेलाराम
64. गोबराराम पुत्र चेलाराम
65. छोगाराम पुत्र लाधाराम
66. जैसाराम पुत्र चेलाराम
67. पारसाराम पुत्र तुलछाराम
68. भेराराम पुत्र तुलछाराम
69. मेतीदेवी पत्नी चुतराराम
    समस्त बालिग जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

......................असल अप्रार्थीगण

70. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.... अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः— श्री चिमनसिंह चौधरी।
अप्रार्थीगण अधिवक्ताः— श्री सुखराम विश्नोई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—20.05.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 526/4.2816 है0 वाके ग्राम खारवा एवं खसरा संख्या 118/2.6952 है0, 119/5.0019 है0 वाके ग्राम वीरमाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.21 11:49:07 IST
Reason: SelfAttested

किया जिस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 24.12.2023 एवं 25.12.2023 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 24.12.2023 एवं 25.12.2023 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामील अप्रार्थी संख्या 26 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई जबाव/उज्रएतराज प्रस्तुत नहीं किया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2024/314 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का भाखरपुरा ने दिनांक 27—28.03.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 24—25.12.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 26 के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की आराजी को छोडते हुये पत्थरगढी किये जाने पर सहमति जाहिर की।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries****.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.21 11:49:07 IST
Reason: SelfAttested

सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–76 वाकै ग्राम खारवा एवं संवत् 2074–2077 वाके ग्राम वीरमाणियों की ढाणी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम खारवा व वीरमाणियों की ढाणी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 24–25.12.2023 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 526 बा.दोयम व खसरा नम्बर 118,119 बा.दो. को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 526/4.2816 है0 वाके ग्राम खारवा एवं खसरा संख्या 118/2.6952 है0, 119/5.0019 है0 वाके ग्राम वीरमाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.21 11:49:07 IST
Reason: SelfAttested

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 20.05.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.21 11:49:07 IST
Reason: SelfAttested